भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2544

उत्तर देने की तारीख 16.03.2023

खादी उद्योगों को एमएमडीए

2544. श्री अबु हसीम खान चौधरीः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय इस बात से अवगत है कि पश्चिम बंगाल के खादी उद्योगों (केआई) को संशोधित विपणन विकास सहायता (एमएमडीए) जारी नहीं की गई है और यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या एमएमडीए जारी करने के संबंध में देश के अन्य राज्यों में केआई हेतु लागू नियमों, दिशा-निर्देशों अथवा चेकलिस्ट से हटकर पश्चिम बंगाल के केआई के लिए पृथक नियम, दिशानिर्देश अथवा चेकलिस्ट लागू हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या राज्य कार्यालय पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता ने पश्चिम बंगाल के केआई के एमएमडीए दावों की जांच करने और भुगतान के लिए प्रधान कार्यालय, मुम्बई को अग्रेषित करने के लिए पृथक नियम, दिशानिर्देश या चेकलिस्ट जारी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल की खादी संस्थाओं (केआई) को संवितरित संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए) का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	खादी संस्थाओं की संख्या	संवितरित राशि (लाख रू. में)
2019-20	286	6947.70
2020-21	208	1594.04
2021-22	263	3633.19
2022-23 (दिनांक 13.03.2023 की स्थिति के अनुसार)	201	1862.59

(ख) एवं (ग) एमएसएमई मंत्रालय ने एमएमडीए के लिए दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी है, जिसका राज्य कार्यालय, कोलकाता सहित केवीआईसी के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुसरण किया जा रहा है।

******